

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

अशोक कुमार एड आदर्श पार्श्व कब्जा प्रमाण-पत्र
श्री. भुरारी प्रसाद अग्रवाल एवं मुकेश कुमार

सम्पत्ति विभाग के पत्रांक १५०।D।सम्पत्ति/२० दिनांक 13-11-20

फैल - C-1 के क्रम में भूखण्ड संख्या १५४६.१० की नीचे आवासीय / व्यावसायिक योजना २११२-२०२०

में आज दिनांक 19/11/2020 को कब्जा स्थल पर दिया गया।

कब्जा देने वाले अवर अभियन्ता
के हस्ताक्षर नाम सहित।



[Signature]
Mukul Veena
कब्जा प्राप्तकर्ता / आवंटी
के हस्ताक्षर
[Signature]

प्रतिलिपि :-

- (1) प्रभारी सम्पत्ति
- (2) आवंटी

प्रेषक,

आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

श्री श्री सुनील कुमार एच. आर्. आर्. चार्ल्स
श्री श्री सुरेश प्रसाद अग्रवाल एच. आर्. आर्. आगरा प्रसाद अग्रवाल
श्री श्री सुनील कुमार वर्मा एच. आर्. आर्. आगरा
नि. 60 प्रसाद अग्रवाल एच. आर्. आर्. आगरा

पत्रांक : 2501.DI.64वी/12 दिनांक 13-11-20

विषय :- शास्त्री युक्त में भवन/भूखण्ड सं० ^{की-1} का कब्जा लेने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत वर्णित सम्पत्ति का विक्रय विलेख/पट्टा विलेख दिनांक 7-11-2020 को निष्पादित किया जा चुका है। कृपया अधिशासी अभियन्ता (योजना) से पत्र प्राप्त के 15 दिन के अन्दर सम्पर्क कर सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का कष्ट करें। कब्जा प्राप्त कर निर्धारित अवधि में नियमानुसार निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा।



Muhammad Usama



श्री श्री सुनील कुमार वर्मा
भवदीय
19/11/20
आगरा विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपि

अधिशासी अभियन्ता (योजना) को इस आशय से प्रेषित कि वह आवन्ती को 15 दिन के अन्दर सम्पत्ति का कब्जा हस्तान्तरित कर सम्पत्ति कब्जा पत्र की प्रति इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।

आगरा विकास प्राधिकरण

7269

Simmi

SIMMI PANDEY
Executive
SHCIL-AGRA




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh



e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP11711337374163S
Certificate Issued Date	: 04-Nov-2020 01:08 PM
Account Reference	: SHCIL (FI)/ upshcil01/ AGRA1/ UP-AGR
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUPSHCIL0117221324479809S
Purchased by	: ASHOK KUMAR AND OTHERS
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: COMMERCIAL, C-1, SHASTRIPURAM, AGRA
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY AGRA
Second Party	: ASHOK KUMAR AND OTHERS
Stamp Duty Paid By	: ASHOK KUMAR AND OTHERS
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 15,40,000 (FifteenLakh Forty Thousand only)



Mukesh Kumar
Mukesh Kumar



Ashok Kumar

-----Please write or type below this line-----



उप प्रभारी-(सम्यक्ति)
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

For Ashok Kumar & Others कमश:-2
Partner Mukesh Kumar

LB 0011557560

उप प्रभारी-(सम्यक्ति)
आगरा विकास प्राधिकरण

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



सत्यमेव जयते


INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

SIMMI PANDEY
Executive
SHCIL-AGRA



Certificate No.	: IN-UP11713621033642S
Certificate Issued Date	: 04-Nov-2020 01:18 PM
Account Reference	: SHCIL (FI)/ upshcil01/ AGRA1/ UP-AGR
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUPSHCIL0117220457951702S
Purchased by	: ASHOK KUMAR AND OTHERS
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: COMMERCIAL, C-1, SHASTRIPURAM, AGRA
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY AGRA
Second Party	: ASHOK KUMAR AND OTHERS
Stamp Duty Paid By	: ASHOK KUMAR AND OTHERS
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 15,00,000 (FifteenLakh only)



.....Please write or type below this line.....

(2)

For Ashok Kumar & Others

Partner

द्वारा आवंटित भूमि का स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु

विक्रय विलेख

For Ashok Kumar & Others

Partner

कमश:-3

उप प्रभारी-(सम्पत्ति)
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा

LB 0011557561

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 098999



सन् 2020 ई० के 11 मास के दिनांक 7 को
श्री अनिल कुमार कनौजिया, (अनुसचिव), आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
(जिनको एतदपश्चात "प्रथम पक्ष" कहा गया है) के द्वारा


कमशः-4

उप प्रभारी-(सम्पत्ति)
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा

For Ashok Kumar & Others


Partner

For Ashok Kumar & Others


Partner



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 099000

14 OCT 2020
ASHOK KUMAR
DY. COMPTROLLER
TREASURY, AGRA

(4)

नामित मुख्यारेआम श्री गिरीश चन्द, द्वितीय श्रेणी लिपिक, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को बही सं० 06, जिल्द सं० 4, पृष्ठ सं० 183 से 194, कमांक 9 दिनांक 17.10.2020 को उप निबन्धक (द्वितीय), आगरा में पंजीकृत

कमशः-5

उप प्रवारी-(सम्यत्ति)
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा

For Ashok Kumar & Others


Partner




For Ashok Kumar & Others


Partner



भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CA 995065

(5)

है, के माध्यम से अशोक कुमार एण्ड अदर्स, पार्टनर श्री मुरारी प्रसाद अग्रवाल पुत्र स्व0 जगन प्रसाद गर्ग एवं श्री मुकेश कुमार वर्मा पुत्र श्री फूल चन्द वर्मा, निवासी-60, भावना स्टेट, सिकन्दरा, आगरा व हाल कार्यालय-42/2,

कमशः-6


उप प्रभारि-(सम्पत्ति)
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा


For Ashok Kumar & Others


Partner

For Ashok Kumar & Others


Partner

भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


CA 995066


(6)


बी-12, हरीवर्ल्ड टॉवर, संजय प्लेस, आगरा, तहसील-सदर, जिला-आगरा को शास्त्रीपुरम् योजना के फेस सी-1, क्षेत्रफल 2486.50 वर्गमीटर के अन्तर्गत व्यवसायिक भूखण्ड आवंटित है। (जिसको एतदपश्चात 'द्वितीय पक्ष' कहा गया है) के मध्य निष्पादित किया जाता है।

कमशः-7



उप प्रभारी-(सम्मति)
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा

For Ashok Kumar & Others

Partner

For Ashok Kumar & Others

Partner



भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CA 995067

(7)


भूखण्ड का कब्जा विक्रय विलेख के पश्चात ही दिया जायेगा।

उप प्रभाषी-(सम्पत्ति)
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा

कमरा:-8

For Ashok Kumar & Others

Partner



For Ashok Kumar & Others

Partner



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

₹.10

भारत



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

06AE 921820

(8)

यह विक्रय विलेख किसी भी मा0 न्यायालय/प्राधिकरण में पारित निर्णय के अधीन होगा।

उप प्रभाषी-(सम्पत्ति)
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा

कमरा:-9

For Ashok Kumar & Others

Partner

For Ashok Kumar & Others

Partner



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

06AE 921821

(9)


आवंटित सम्पत्ति के विरुद्ध यदि रजिस्ट्री के उपरान्त भी G.S.T. इत्यादि सम्बन्धी या अन्य किसी भी प्रकार के करों की देयता बनती है तो वह सम्बन्धित आवंटी/पक्षकार द्वारा ही वहन की जायेगी।


उप प्रभारी-(सम्पत्ति)
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा

For Ashok Kumar & Others


Partner


For Ashok Kumar & Others


Partner

AGRA DEVELOPEMENT AUTHORITY

SITE PLAN OF ██████████ / COMMERCIAL PLOT AT SHASTRIPURAM SECTOR C-I

<p>LAND USE - COMMERCIAL</p> <p>PLOT AREA</p> <p>REMARK 30 MT. WIDE ROAD.</p>	<p>BOUNDARIES</p> <p>NORTH - SCHOOL PLOT</p> <p>SOUTH - OPEN FOR H.T. LINE</p> <p>EAST - OPEN FOR H.T. LINE</p> <p>WEST - 30 MT. WD. Z.P. ROAD.</p>
---	---



उप प्रभारी - (सम्पत्ति)
 आगरा विकास प्राधिकरण
 आगरा

30.0 M. WIDE ZONAL PLAN ROAD

<p><i>Suresh</i> 16.8.12</p>	<p>A.E. <i>16/8/12</i></p>	SELLER-
<p>TRACED BY-</p>	<p>J.E. <i>16.8.12</i></p>	<p>PURCHASER-</p>

NOTE - MEASUREMENT AND AREA GIVEN BY J.E. AS PER SITE.

For Ashok Kumar & Others
 Partner

 For Ashok Kumar & Others
 Partner

2

1

AREA DEVELOPMENT AUTHORITY
TANJAVUR DISTRICT COMMERCIAL PROTA
MADRAS STATE

30 METRE WIDE ROAD
SOUTH SIDE OF THE ROAD
EAST SIDE OF THE ROAD
WEST SIDE OF THE ROAD

(Signature)
TANJAVUR DISTRICT
MADRAS STATE

7268
A



Handwritten signature or initials.

130

28/10/2020

स्टाम्प विक्रय की ति.दि.....
स्टाम्प क्रय करने की प्रतीति.....
स्टाम्प प्रेता का नाम व पता.....
स्टाम्प की प्रमाणाति.....

कमोडि एम्प (एच) 31521 गी.फर
42/2-12-12 ए.डी.के. सि.प.के.के.के.
के

राजकुमार शर्मा
ला10 नं0-14
लाइसेन्स की अवधि 31 मार्च 20..
सदर तहसील, आगरा

आवेदन सं०: 202000766039823

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 15121 के पृष्ठ 99 से 126 तक क्रमांक 7268 पर दिनांक
07/11/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अशोक कुमार सिंह

उप निबंधक : सदर द्वितीय

आगरा

07/11/2020



137

29/10/2020

स्टाम्प विक्रय की तिथि.....
 स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.....
 स्टाम्प केला का नाम व पता.....
 स्टाम्प की बनसवि.....

फैक्टोरी फुल एंड अफेयर्स
 474-B-12 एच.एच. एम. रोड
 2

राजकुमार शर्मा N
 ला0 नं0-14
 लाइसेन्स की अवधि 31 मार्च 2022
 सदर तहसील, आगरा

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

DEAR 221820

UTTAR PRADESH

(8)

मौजुदा की जांच में संशय के कारण प्रस्तावित काम पर रोक लगा दी जाती है।

आपकी जानकारी के लिए

आपका अधिकारी

(सहसंचालक)
 आगरा तहसील प्रशासन
 आगरा

For Ashok Kumar & Co. Char.

For Ashok Kumar & Co. Char.



136
29/10/2000

प्लान नं. दिखाने की तिथि.....
प्लान नं. क्रम करने के प्रयोजन से.....
प्लान नं. केता का नाम क्या है.....
प्लान की धनराशि.....

रजकुमार राम
ला 10 नं-14
92/2-B-12 एन वी सिटी

रजकुमार राम
ला 10 नं-14
लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 2001
सदर तहसील, आगरा

CA 38802

INDIA NON JUDICIAL

प्लान नं. दिखाने की तिथि

(सहीपत्र) नं. 10/10/2000
सदर तहसील, आगरा



135

25/10/2020

स्टाम्प विभाग की लि. से.....
स्टाम्प क्रम करने में प्रयोज्य.....
स्टाम्प कीता का नाम व पता.....
स्टाम्प की धनराशि.....

राजकुमार शर्मा
42/2-B-12 ए.डी.के. कॉम्प्लेक्स
लिनर धर्मपुर

राजकुमार शर्मा
ला0 नं0-14
लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 2021
सदर तहसील, आगरा

INDIA POST JUDICIAL

330299 10

भारत पोस्ट उत्तर प्रदेश

महोदय को भेजने के लिए प्रेषित किया गया है।
यदि आपको इसका पता नहीं है तो कृपया
इस पते पर लिखकर भेजें।
1. श्री. राजकुमार शर्मा
42/2-B-12 ए.डी.के. कॉम्प्लेक्स
लिनर धर्मपुर

1-10-2020

(सि.स.)
सहायक पोस्टल अधिकारी
आगरा



134

29/11/2020

स्टाम्प की धनराशि

आवेदन सं०: 202000760039828

स्टाम्प क्रम सं०: 15 व 16

स्टाम्प की धनराशि

बही सं०: 19

लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने में जमान व प्राप्त धनराशि व प्रलेखानुसार उक्त सदर तहसील, आगरा

विक्रेता: 1

श्री अशोक कुमार कर्नौजिया अनुसचिव आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के द्वारा गिरीश चन्द, पुत्र श्री ०

निवासी: द्वतीय श्रेणी लिपिक आगरा विकास प्राधिकरण आगरा

व्यवसाय: नौकरी

क्रेता: 1



श्री अशोक कुमार एण्ड अदर्स पार्टनर के द्वारा मुरारी प्रसाद अग्रवाल, पुत्र श्री स्व० जगन प्रसाद गर्ग

निवासी: 42/2 बी-12 हरीवर्ल्ड टॉवर संजय प्लेस आगरा

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 2



श्री अशोक कुमार एण्ड अदर्स के द्वारा मुकेश कुमार वर्मा, पुत्र श्री फूल चन्द वर्मा

निवासी: 42/2 बी-12 हरीवर्ल्ड टॉवर संजय प्लेस आगरा

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1



श्री जीतेन्द्र सिंह राजपूत, पुत्र श्री स्व० देशराज सिंह राजपूत

निवासी: ए-558 ट्रान्स यमुना कॉलोनी रामबाग आगरा

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2



श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल, पुत्र श्री राम नारायण अग्रवाल

निवासी: के वी नगर खेरिया मोड आगरा

व्यवसाय: अन्य



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं। टिप्पणी:

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


अशोक कुमार सिंह

उप निबंधक: सदर द्वितीय

आगरा

योगेन्द्र कुमार े

निबंधक लिपिक



6
स्टाम्प विक्रय की तिथि..... 5-11-2020
स्टाम्प का करने का प्रमाण.....
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता..... अशोक कुमार एण्ड अदर्स पार्टनर - 42/2 बी-12 हरीवर्ल्ड टॉवर संजय प्लेस आगरा
स्टाम्प की धरतः रोज..... 500/-



वरुण कुवे
वरुण कुवे
स्टाम्प विक्रय
ला. सं. 192, अंकित 31 मार्च-20 21
सदर तहसील, आगरा

आवेदन सं०: 202000766039823

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 7268

वर्ष: 2020

प्रतिफल- 43444128 स्टाम्प शुल्क- 3041170 बाजारी मूल्य - 43445000 पंजीकरण शुल्क - 434450 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 434530

श्री अशोक कुमार एण्ड अदर्स पार्टनर द्वारा
मुरारी प्रसाद अग्रवाल अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री स्व० जगन प्रसाद गर्ग
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: 42/2 बी-12 हरीवर्ल्ड टॉवर संजय प्लेस आगरा



श्री, अशोक कुमार एण्ड अदर्स पार्टनर द्वारा

मुरारी प्रसाद अग्रवाल अधिकृत पदाधिकारी/
प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 07/11/2020 एवं
03:53:03 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अशोक कुमार सिंह

उप निबंधक : सदर द्वितीय

आगरा

07/11/2020

योगेन्द्र कुमार े
निबंधक लिपिक




स्टाम्प विक्रय की तिथि 5
4-11-2020

स्टाम्प काय करने का प्रयोजन.....

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.....


स्टाम्प की धनराशि 500/-

अशोक कुमार एन्ड अर्धर शिवरति - पश्चिम बंगाल - 743012 हरद्वार टावर
संजय प्लेस आगरा



वरुण कुवे
वरुण कुवे
स्टाम्प विक्रेता

ला.सं. 182, अक्टो 31 मार्च-20 21
सदर तहसील, आगरा



Handwritten signature in blue ink

2000

CHIEF SECRETARY
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CALCUTTA



GOVERNMENT OF WEST BENGAL

SHIL

Faint, illegible text in the center of the page, possibly a letter or official communication.

Faint, illegible text on the right side of the page, possibly a list or schedule.



0011525251

Faint, illegible text at the bottom right of the page.

STAFF PAPER
OFFICE
CANTON AREA



SHILS

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR
FROM THE CHIEF OF BUREAU
SUBJECT: [Illegible]

TO: [Illegible]

By: [Illegible Signature]



001552880

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

द्वारा आवंटित भूमि/भूमि सहित भवन का स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु
विक्रय विलेख

सन् ई. के मास के दिनांक को सचिव, आगरा
विकास प्राधिकरण (जिनको एतदपश्चात "प्रथम पक्ष" कहा गया है) तथा
श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
निवासी
तहसील जिला (जिसको
एतदपश्चात "द्वितीय पक्ष" कहा गया है) के मध्य निष्पादित किया जाता है।

और चूँकि इस विलेख की अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि/भूमि सहित भवन द्वितीय पक्ष को आवंटित हुआ था।
आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन अनुसूची में निर्दिष्ट भूखण्ड/भूखण्ड सहित भवन का स्वामित्व
रु. 3,87,89,400/- (शब्दों में रुपया
..... एवं पैसे केवल) के एवज में द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित
किया जाना है।

और चूँकि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/भूखण्ड सहित भवन
का स्वामित्व आवासीय/ग्रुप हाउसिंग/वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु दिया जाना स्वीकार कर लिया गया है।

और चूँकि जनपद आगरा की महायोजना/आस-पास की भूमि के उपयोग के आधार पर वर्तमान में उक्त
वर्णित भूखण्ड/भूखण्ड सहित भवन का, आवासीय/ग्रुप हाउसिंग/वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना है।

अतः द्वितीय पक्ष द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि का उपयोग महायोजना में निर्दिष्ट/आस-पास की भूमि के
भू-उपयोग के अनुसार ही किया जावेगा व कोई प्रदूषणकारी अथवा अनैतिक उपयोग नहीं किया जायेगा।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना
और विकास अधिनियम, 1973 सपठित शासनादेश संख्या 1639/93आ-1-95-80 मिस/86 दिनांक 10 मई,
1995 तथा शासनादेश संख्या 1778/93आ-1-95-80 मिस/86 दिनांक 24-5-95 के अनुसरण में निष्पादित
यह विलेख साक्षी है कि अनुसूची में वर्णित भूमि सहित भवन/भूखण्ड का स्वामित्व द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित

आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा
For Ashok Kumar & Others
Partner
For Ashok Kumar & Others
Partner

(2)

किये जाने हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को रु. ₹. 87,87,400/- (रुपये केवल) हीन कलेस एस्टासी लाघ नवसी एफए-एर सी हवके स्थित चेक/बैंक ड्राफ्ट/बैंक चालान संख्या निर्मित द्वारा किये गये भुगतान (जिसका सत्यापन लेखा विभाग द्वारा किया जा चुका है व प्राप्त प्रथम पक्ष एतद् द्वारा स्वीकार करता है) के प्रतिफल स्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों जिनका द्वितीय पक्ष पालन करेगा, को ध्यान में रखकर प्रथम पक्ष एतद् द्वारा वह सब भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है और जो स्पष्टीकरण के लिए इस विलेख में संलग्न रेखाचित्र में लाल रंग से रंग दिया गया है, फ्री-होल्ड रूप में द्वितीय पक्ष को निजी स्वत्व प्रदान करते हैं अतएव द्वितीय पक्ष उसके दावाधिकारी तथा सम्बन्धेशिती सदा के लिए उसे अपने अधिकार में रखेंगे।

इस विलेख के निष्पादन के दिनांक से इसकी अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/भूमि सहित भवन पर द्वितीय पक्ष को निजी स्वत्व प्राप्त हो जायेगा और वह उसे स्वेच्छ से प्रभावी विधि, नियमों एवं विनियमों के अधीन किसी भी प्रकार हस्तान्तरित कर सकेगा। भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन के सम्बन्ध में इस समय देय करों का अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान करेगा।

भूखण्ड के मूल्य की 50% अवशेष धनराशि रु. की 2 वर्ष की 8 समान तिमाही किश्तों में 21% ब्याज सहित जमा करना होगा, जिसकी प्रथम तिमाही किश्त दिनांक से लागू होगी एवं प्रत्येक किश्त का धनांक निर्धारित है। किश्त का भुगतान विलम्ब से करने की दशा में 26% विलम्ब ब्याज देय होगा।

आठवीं की भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने अथवा विक्रय विलेख में निष्पादन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के अन्दर आगरा विकास प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण पूर्ण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न करने की दशा में उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अनिर्माण लेवी की धनराशि लेकर अधिकतम 5 समय दिया जा सकेगा।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर दोनों पक्षों या उनके दावेदारों के बीच कभी भी कोई विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न उत्पन्न होने पर उसे राज्य सरकार के आवास विभाग को संदर्भित किया जायेगा। जिस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाला सम्पूर्ण व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया

जायेगा
उप प्राधिकरण (सन्माला)
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा

For Ashok Kumar & Others
Partner

For Ashok Kumar & Others
Mufach Keena
Partner

(3)

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के सम्बन्ध में जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या, प्रसंगों से असंगत न हो, "प्रथम पक्ष" में उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का तथा "द्वितीय पक्ष" में उसके दावाधिकारियों, निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा ।

इस विलेख के साक्ष्य में द्वितीय पक्ष ने और प्रथम पक्ष की ओर से एवं उनके द्वारा अधिकृत/अधिकारी ने उक्त तिथि को हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी हैं ।

विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नवत है :-

भूदान/भूखण्ड संख्या सी-१ स्थित मोहल्ला शास्त्रीपुरम कुल रकबा
2486.50 वर्गमी. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :

पूर्व : OPEN FOR H.T. LINE
पश्चिम : 30 MT. W.D. Z.P. ROAD
उत्तर : एम्बेल्ड स्कूल प्लॉट
दक्षिण : OPEN FOR H.T.T

प्री-होल्ड के लिए द्वितीय पक्ष ने सम्पूर्ण धनराशि रुपया 4,65,472/- प्राधिकरण
कोष में चालान संख्या निम्न दिनांक

द्वारा जमा कर दी है ।

Dr Ashok Kumar & Oth
Partner

द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर

For Ashok Kumar & L.

Mulach Karna
Partner

गिरिश च
को लिपिक

उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण
की ओर से तथा उनके द्वारा प्राधिकृत

उप प्रभारी- (सम्पत्ति)
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा

उप प्रभारी- (सम्पत्ति)
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा

नाम :

पता :

साक्षी-(1) Jitendra Singh
A-558 Trans Yamuna colony, Rambagh

साक्षी-(2) [Signature]
कृष्ण कुमार अजवात, 51/212 D, 48 के वी नगर, बैरिंगगाना, आगरा
कृष्ण कुमार

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

द्वारा आवंटित भूमि/भूमि सहित भवन का स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु
विक्रय विलेख

सन् ई के मास के दिनांक को सचिव, आगरा
विकास प्राधिकरण (जिनको एतदपश्चात "प्रथम पक्ष" कहा गया है) तथा
श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
निवासी
तहसील जिला (जिसको
एतदपश्चात "द्वितीय पक्ष" कहा गया है) के मध्य निष्पादित किया जाता है।

और चूंकि इस विलेख की अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि/भूमि सहित भवन द्वितीय पक्ष को आवंटित हुआ था।
आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन अनुसूची में निर्दिष्ट भूखण्ड/भूखण्ड सहित भवन का स्वामित्व
रु. 3,87,89,400/- (शब्दों में रुपये
एवं वैसे केवल) के एवज में द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित
किया जाना है।

और चूंकि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/भूखण्ड सहित भवन का स्वामित्व
आवासीय/गुप्त हाउसिंग/वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु दिया जाना स्वीकार कर लिया गया है।

और चूंकि जनपद आगरा की महायोजना/आस-पास की भूमि के उपयोग के आधार पर वर्तमान में उक्त
वर्णित भूखण्ड/भूखण्ड सहित भवन का आवासीय/गुप्त हाउसिंग/वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना है।

अतः द्वितीय पक्ष द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि का उपयोग महायोजना में निर्दिष्ट/आस-पास की भूमि के
भू-उपयोग के अनुसार ही किया जावेगा व कोई प्रदूषणकारी अथवा अनैतिक उपयोग नहीं किया जायेगा।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर ब्यक्तशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना
और विकास अधिनियम, 1973 संपठित शासनादेश संख्या 1639/93आ-1-95-80 मिस/86 दिनांक 10.08.81,
1995 तथा शासनादेश संख्या 1778/93आ-1-95-80 मिस/86 दिनांक 24-5-95 के अनुसरण में निष्पादित
यह विलेख साक्षी है कि अनुसूची में वर्णित भूमि सहित भवन/भूखण्ड का स्वामित्व द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित

For Ashok Kumar & Others
Partner
For Ashok Kumar & Others
Partner

(2)

किये जाने हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को रु. 3,87,89,400/- (रुपये

तीन करोड़ आठ लाख नवसौ चार सौ रुपये केवल)

निश्चय स्थित चेक/बैंक ड्राफ्ट/बैंक चालान संख्या 111111 द्वारा किये

गये भुगतान (जिसका सत्यापन लेखा विभाग द्वारा किया जा चुका है व प्राप्ति प्रथम पक्ष एतद् द्वारा स्वीकार करता है)

के प्रतिफल स्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों जिनका द्वितीय पक्ष पालन करेगा, को ध्यान में रखकर

प्रथम पक्ष एतद् द्वारा वह सब भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया

है और जो स्पष्टीकरण के लिए इस विलेख में संलग्न रेखाचित्र में लाल रंग से रंग दिया गया है, फ्री-होल्ड रूप में

द्वितीय पक्ष को निजी स्वत्व प्रदान करते हैं अतएव द्वितीय पक्ष उसके दावाधिकारी तथा सम्बन्धितों के लिए उसे

अपने अधिकार में रखेंगे।

इस विलेख के निष्पादन के दिनांक से इसकी अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/भूमि सहित भवन पर द्वितीय पक्ष को निजी स्वत्व प्राप्त हो जायेगा और वह उसे स्वच्छ से प्रभावी विधि, नियमों एवं विनियमों के अधीन किसी भी प्रकार हस्तान्तरित कर सकेगा। भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन के सम्बन्ध में इस समय देय करों का अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान करेगा।

भूखण्ड के मूल्य की 50% अवशेष धनराशि रु. की 2 वर्ष की 8 समान तिमाही किश्तों में 21% ब्याज सहित जमा करना होगा, जिसकी प्रथम तिमाही किश्त दिनांक से लागू होगी एवं प्रत्येक किश्त का धनांक निर्धारित है। किश्त का भुगतान विलम्ब से करने की दशा में 26% विलम्ब ब्याज देय होगा।

आवृत्ति का भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने अथवा विक्रय विलेख में निष्पादन की तिथि से वर्ष की अवधि के अन्दर आगरा विकास प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण पूर्ण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न करने की दशा में उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अनिर्माण लेवी की धनराशि लेकर अधिकतम समय दिया जा सकेगा।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर दोनों पक्षों या उनके दावेदारों के बीच कभी भी कोई विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न उत्पन्न होने पर उसे राज्य सरकार के आवास विभाग को संदर्भित किया जायेगा। जिस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाला सम्पूर्ण व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया

जायेगा
उप प्रा. (निष्पादक)
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा

For Ashok Kumar & Others
Partner

For Ashok Kumar & Others
Partner

(3)

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के सम्बन्ध में जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या, प्रसंगों से असंगत न हो, "प्रथम पक्ष" में उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का तथा "द्वितीय पक्ष" में उसके दावाधिकारियों, निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा।

इस विलेख के साक्ष्य में द्वितीय पक्ष ने और प्रथम पक्ष की ओर से एवं उनके द्वारा अधिकृत/अधिकारी ने उक्त लिखी को हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी हैं।

विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नवत है :-

भूज/भूखण्ड संख्या सी-1 स्थित मोहल्ला शाहजीपुरम कुल रकबा
2486.50 वर्ग मी. जिसकी चौकटी निम्न प्रकार है:

- पूर्व: OPEN FOR H.T. LINE
- पश्चिम: 30 MT. W.B. Z.P. ROAD
- उत्तर: स्कूल का प्लॉट
- दक्षिण: OPEN FOR H.T.T

फ्री-होल्ड के लिए द्वितीय पक्ष ने सम्पूर्ण धनराशि रुपया 46,54,728/- प्राधिकरण

कोष में बालान संख्या निम्न दिनांक

निम्न द्वारा जमा कर दी है।

For Ashok Kumar & Oth
Signature
द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर

For Ashok Kumar & C
Mulach Kumar
Partner
गिराई प
को लिखिय

Signature
उप प्राधिकारी-सम
वायरा विकास प्रा
वायरा

उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण
की ओर से तथा उनके द्वारा प्राधिकृत

उप प्राधिकारी (सम्पत्ति)
वायरा विकास प्राधिकरण
वायरा

नाम :

पता :

साक्षी-(1) Sitendra Singh
A-558 Trans Yamuna colony, Rambah

साक्षी-(2) Rupesh

कृष्ण कुमार अग्रवाल, 51/212 D, 48 के वी राज, खेडिया मोड़, आ 51/21
कृष्ण कुमार

Partner

Partner





